न्यायालय कनीय न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

अधिकार वाद सं0– 38 / 2020

डोमनी देवी वगैरह.....वादीगण

बनाम्

प्रेमा कुमारी वगैरह .....प्रतिवादीगण

आदेश

10.08.2026 वादी एवं प्रतिवादी की ओर से हाजरी दी गयी। प्रतिवादी की ओर से वादी के आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। वादी द्वारा दाखिल आवेदन दि0–13.07.2026 को प्रचालित किया गया एवं कथन किया गया कि उक्त वाद में न्यायालय द्वारा विवादित स्थल के पैमाईश हेतु सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री श्याम भारती नियुक्त हुए थे। जिन्होंने वैज्ञानिक पैमाईश कर अपना प्रतिवेदन न्यायालय में दाखिल किया है। जिनकी गवाही होना न्यायहित में आवश्यक है। ताकि उक्त प्रतिवेदन प्रदर्ष हो सके तथा बेदखली संबंधी तथ्य न्यायालय के समक्ष आ सके। जिनके साक्ष्य हेतु दस्ती सम्मन निर्गत किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त आयुक्त महोदय अपने प्रतिवेदन के समर्थन में अपना साक्ष्य दे सके। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री श्याम भारती को गवाही हेतु दस्ती सम्मन निर्गत किया जाय।

उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दाखिल कर कथन किया गया कि वादी का आवेदन पोषणीय नहीं है। वादी को आवेदन दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी का आवेदन परिसिमा कानून के तहत वर्जित है। वादी द्वारा दाखिल आवेदन सत्यापित नहीं है। न्यायहित में वादी का आवेदन खारिज कर दिया जाय। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन खारिज करने की कृपा की जाय।

उक्त आवेदन पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अवलोकन से विदित होता है कि वादी इस वाद में नियुक्त सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त पर दस्ती सम्मन जारी करवाकर उनका साक्ष्य न्यायालय में करवाना चाहते हैं। वाद में अधिवक्ता आयुक्त का साक्ष्य कराना वाद के उचित निष्पादन एवं न्यायनिर्णयन हेतु न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में वादी का दस्ती सम्मन निर्गत करने संबंधी आवेदन दि0–13.07.2026 को **स्वीकृत** किया जाता है। वादी दस्ती सम्मन हेतु दस्ती सम्मन का उपकरण दाखिल करें।

वाद दिनांक–**07.09.2026** वास्ते दाखिल करने दस्ती सम्मन का उपकरण हेतु।

ले0

मुंसिफ